

न्यायालय श्री कार्यपालक दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)।

संयुक्त मुख्य पृष्ठ उपर पत्रावरण

वाद संख्या :- १४/२०१९

टी०आर०नं०

वादी :- श्री सुश्रीमा कुमारी

प्रतिवादी

अनिल कुमार कुमारी,

धारा १५५

दं०प्र०सं०

निर्णय की तिथि :-

अभिलेखागार में प्राप्त होने की तिथि :-

क्रमांक	कागजात की विवरणी	पन्नों की संख्या	स्टाम्प का मूल्य
१	२	३	४
	आदेश फलक		
	पुलिस रिपोर्ट जांचां २२२५/१९ ए० १३/१/१९		
	सर्विस रिपोर्ट		
	डिपोजिसन		
	कारण पृच्छा ०२/४/१९ इतिहास पत्र का अंतराष्ट्रिका		
	आवेदन अग्रज पत्र		
	दाखिल कागजात की सूची		
	उपस्थिति		
	वकालतनामा अग्रज पत्र		
	अन्यान्य		

योग :-

प्रमाणित किया जाता है कि
सटा हुआ है।

रुपये का टिकट
बी० सी०

आदेश का क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में दिनांक तारीख के साथ
02/08/2019	अभिलेख उपलब्ध। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से कारणपत्रा दायित्व किया गया। अभिलेख दिनांक 30/8/19 को रखा।	18/08/19
30/8/19	अभिलेख उपलब्ध। CO अपना-पक्ष प्रस्तुत पत्र जमाव दायित्व करे। अभिलेख दिनांक 20/9/19 को रखा।	03/09/19
20/9/19	अभिलेख उपलब्ध। अभिलेख दिनांक 24/9/19 को रखा।	18/09/19
24/9/19	अभिलेख उपलब्ध। अभिलेख दिनांक 18/10/19 को रखा।	18/09/19

सिद्धिपत्र/समाप्त

18/10/19 अभिलेख उपलब्धिपत्र । उपाय पत्र अनु०
अभिलेख ०४११११९ को रहे

०४११११९ अभिलेख उपलब्धिपत्र ।
उपाय पत्र अनु०

11/9/2020 उपाय पत्र अनुपस्थित । अभिलेख दिनांक 15/9/2020
को रहे ।

छापेदार पदाधिकारी
जगोदा-सतिया

13/7/2021 उपाय पत्र बकाबतन दायिर । डिप्टी पत्र अनु० ।
अभिलेख दिनांक 27/7/21 को रहे ।

27/7/2021 उपाय पत्र बकाबतन दायिर । डिप्टी पत्र अनु० ।
To 10/08/21

२७/७

10/8/2021 उपाय पत्र बकाबतन दायिर । डिप्टी पत्र अनु० ।
अभिलेख दिनांक 24/8/2021 को रहे ।
पौठासीन पदाधिकारी अन्य छापेदार अनुपस्थित ।

अनुपस्थित पदाधिकारी
जगोदा-सतिया ।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<u>24/8/2021</u>	<p>उमय पक्ष बचाने हेतु। डिप्टी पक्ष मनु० डिप्टी पक्ष लगातार उपस्थित रह रहे हैं। पुकार के समय आज भी उपस्थित ही एकपक्षी हुआ है हेतु रहने।</p> <p>TO 21/09/21</p> <p>२४/०८</p>	
<u>21/9/2021</u>	<p>उमय पक्ष मनु० ।</p> <p>TO 21/09/21</p> <p>२१/०९</p>	
<u>21/9/2021</u>	<p>उमय पक्ष मनु० । विजान कंडा निष्पत्तियों से उमय पक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। सेना प्रतीत होना है कि उमय पक्षों के बीच वर्तमान में कोई विवाह नहीं है। अतः बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>२१/०९</p>	